भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3255** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

जल मार्ग विकास परियोजना

†3255. श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत सामुदायिक जेटी के निर्माण से महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में किस प्रकार सुधार होने की आशा है;

(ख) बिहार और महाराष्ट्र राज्यों के नदी तटीय क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार, पर्यटन और आजीविका सहायता के लिए ये फ्लोटिंग जेटी क्या विशेष लाभ प्रदान करते हैं;

(ग) क्या उक्त राज्य में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन और इसकी आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जेटी निर्माण के और विस्तार की योजना है;

(घ) सरकार इन जेटी के रखरखाव और स्थायित्व को किस प्रकार सुनिश्चित करती है ताकि इनसे सेवा प्राप्त करने वाले समुदायों के लिए इनकी उपयोगिता अधिकतम हो सके, और

(ङ) उक्त क्षेत्रों में स्थानीय मत्स्यपालन, पर्यटन और समग्र आर्थिक विकास पर इन जेटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरने वाली गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) की क्षमता में वृद्धि हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक परियोजना है। हालाँकि, यह महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है।

(ख) और (ग): सामुदायिक जेट्टी अर्थ गंगा की पहल के अंतर्गत विकसित की गई हैं, जिन्हें अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) संपर्कता में सुधार करके नदी के किनारों पर सतत विकास और आर्थिक गतिविधियों में परस्पर समन्वय बढ़ाने पर फोकस किया गया है। ये जेट्टी परिवहन लागत में कमी, लघु उद्योगों के विकास, रोजगार के अवसरों, बेहतर लॉजिस्टिक्स आदि के संबंध में किसानों, व्यापारियों और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं। इसके अलावा, इन जेट्टियों का उपयोग नदी क्रूज पर्यटन के लिए भी किया जाता है। बिहार राज्य में, कुल 21 सामुदायिक जेट्टी चालू की गई हैं और राज्य द्वारा प्रस्तुत मांग के आधार पर अतिरिक्त सामुदायिक जेट्टी चालू करने की भी योजना है।

(घ): सामुदायिक जेट्टी का रखरखाव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और संबंधित राज्य सरकारों के बीच एक राज्य सहायता समझौते (एसएसए) के माध्यम से किया जाता है।

(ङ): आईडब्ल्यूएआई, एक तृतीय पक्ष के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में इन जेट्टियों का नियमित प्रभाव मूल्यांकन कर रहा है। इन जेट्टियों का स्थानीय मत्स्य पालन, पर्यटन और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये जेटी स्थानीय व्यापार के विकास को प्रोत्साहित करती हैं, आजीविका सृजन को सुगम बनाती हैं, निर्माण, कार्गो/क्रूज/यात्री नौका संचालन, और सहायक सेवाओं जैसे - नौका मरम्मत, प्रारंभिक और अंतिम छोर तक संपर्कता आदि के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है।

*****